भारत गणराज्य के राजनयिक पासपोर्ट धारकों और ऑस्ट्रिया गणराज्य के राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रिया की संघीय सरकार के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रिया की संघीय सरकार (इसके पश्चात एकल रूप से "संविदाकारी पक्षकार" और सामूहिक रूप से "संविदाकारी पक्षकारों" के रूप में उल्लिखित), अपने-अपने देशों में भारत गणराज्य के राजनियक पासपोर्ट धारकों और ऑस्ट्रिया गणराज्य के राजनियक पासपोर्ट धारकों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने की इच्छा से निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

- (1) वैध राजनियक पासपोर्ट धारक ऑस्ट्रियाई नागरिकों को प्रवेश की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अविध के भीतर एक बार में 90 (नब्बे) दिनों तक की अविध के लिए भारत गणराज्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (2) वैध राजनियक पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों को प्रवेश की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अविध के भीतर एक बार में 90 (नब्बे) दिनों तक की अविध के लिए ऑस्ट्रिया गणराज्य के क्षेत्र में या किसी अन्य रष्ट्र, जिसपर उनकी साझा सीमाओं पर जाँच के क्रिमिक उन्मूलन के संबंध में 14 जून, 1985 के शेंगेन अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित जून 1990 का 14 वां शेंगेन कन्वेंशन लागू है, के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वीज़ा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) भारत गणराज्य के वैध राजनियक पासपोर्ट धारक और ऑस्ट्रिया गणराज्य के वैध राजनियक पासपोर्ट धारक, ऐसे वैध पासपोर्ट धारकों पर कानूनी रूप से लागू होने वाले सुरक्षा, प्रवास, सीमा शुल्क, सैनिट्री एंट्री संबंधी प्रावधानों और अन्य प्रावधानों को छोड़कर किसी अन्य प्रतिबंध के बिना, दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश और प्रस्थान कर सकते हैं जिसे सक्षम अप्रवासन प्राधिकारियों द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किया गया हो।
- (4) किसी भी संविदाकारी पक्षकार के नागरिकों के राजनियक पासपोर्ट की वैधता की अविध दूसरे पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश के दिन से कम से कम 6 (छह) माह होगी।

अनुच्छेद 2

(1)इस करार के अनुच्छेद 1 के प्रावधान किसी भी संविदाकारी पक्षकार के ऐसे वैध राजनियक पासपोर्ट धारकों पर लागू नहीं होते हैं जो दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भूक्षेत्र में स्थित राजनियक या कों मिशन या अं**राष्ट्री** य संगठनों के स्टाफ सदस्यों के रूप में मान्यता प्राप्त या नामोदिष्ट हैं।

- (2) इस करार के अनुच्छेद 1 के प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, जो दूसरे पक्षकार के भूक्षेत्र में अनुच्छेद 1 में उल्लेख की गई अवधि से अधिक समय तक ठहरने की योजना बना रहे हैं, या वहां रोजगार प्राप्त करने का आशय रखते हैं।
- (3) पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को दूसरे संविदाकारी पक्षकार के भूक्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इसके रष्ट्रिय कानून के अनुसार वीजा प्राप्त करने की अपेक्षा होगी।
- (4) पैरा 1 और 3 में निर्दिष्ट शर्तें पैरा 1 में निर्दिष्ट पासपोर्ट धारकों के उन आश्रितों पर भी लागू हों जो वैध राजनियक पासपोर्ट धारक हैं।

अनुच्छेद 3

- (1) संविदाकारी पक्षकार इस करार पर हस्ताक्षर करने के बाद 30 (तीस) दिनों के भीतर किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा उपयोग किए गए इस करार के अनुच्छेद 1 के अनुसार पासपोर्ट के नमूनों का राजनियक माध्यम से आदान-प्रदान करेंगे; और कोई भी पक्षकार ऐसे पासपोर्ट जारी करने के कम से कम 30 (तीस) दिन पूर्व दूसरे संविदाकारी पक्षकार को किसी नए या परिवर्तित राजनियक पासपोर्ट का नमूना उपलब्ध कराएगा।
- (2) दोनों संविदाकारी पक्षकार, पासपोर्ट जारी करने से संबंधित अपने-अपने रष्ट्रिय कानूनों और विनियमों में किए गए किसी भी संशोधन के बारे में एक-दूसरे को विधिवत सूचित करेंगे।
- (3) यदि दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्षकार के किसी नागरिक का इस करार के अनुच्छेद 1 में संदर्भित अपना वैध राजनियक पासपोर्ट दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में गुम हो जाता है, तो वह प्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्षकार के सक्षम प्राधिकारियों को इस संबंध में सूचित करेगा/करेगी। संबंधित राजनियक मिशन या कों उपरोक्त नागरिक को एक नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करेगा और प्राप्तकर्ता संविदाकारी पक्षकार के सक्षम प्राधिकारियों को इस संबंध में सूचित करेगा।

अनुच्छेद 4

- (1) यह करार किसी भी संविदाकारी पक्षकार के नागरिकों को विदेशियों के प्रवेश करने, ठहरने और बाहर निकलने से संबंधित अन्य संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों का पालन करने के दायित्व से छूट नहीं देता है।
- (2) दोनों संविदाकारी पक्षकारों के पास अवांछनीय माने जाने वाले या सार्वजनिक शांति, व्यवस्था, स्वास्थ्य या रष्ट्रिय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले व्यक्तियों के ठहरने से इनकार करने या कम करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (3) इस करार में उल्लिखित कोई भी शर्त राजनियक संबंध विषयक 18 अप्रैल, 1961 के वियना अभिसमय अथवा कों संबंध विषयक 24 अप्रैल, 1963 के वियना अभिसमय में निर्धारित अधिकारों एवं दायित्वों या अं**रा**ष्ट्री य कानून के अन्य दायित्वों, विशेष रूप से अं**रा**ष्ट्री य अंतर सरकारी संगठनों के साथ मेजबान देश में किए जाने वाले करारों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 5

- (1) सार्वजनिक व्यवस्था, रष्ट्रिय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों से कोई भी संविदाकारी पक्षकार इस समझौते को निलंबित कर सकता है। निलंबन के साथ-साथ इसकी समाप्ति को राजनियक चैनलों के माध्यम से दूसरे संविदाकारी पक्षकार को तुरंत सूचित किया जाएगा। इस समझौते का निलंबन या समाप्ति किसी भी संविदाकारी पक्षकार के ऐसे नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले से ही दूसरे संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं।
- (2) दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्षकार इस समझौते के संपूर्ण भाग में संशोधन या संशोधन के लिए राजनियक चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है। कोई भी पुनरीक्षण या संशोधन, जिस पर संविदाकारी पक्षकारों द्वारा सहमित व्यक्त की गई है, वह पारस्परिक रूप से सहमत होने की तिथि से लागू होगा और तदनुसार इस समझौते का हिस्सा होगा।
- (3) इस करार के प्रावधानों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद को संविदाकारी पक्षकारों के बीच परामर्श या बातचीत से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद 6

- (1) यह करार उस महीने के बाद दूसरे महीने के पहले दिन से लागू होगा जिसमें पक्षकारों ने राजनियक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे को यह सूचित किया है कि इस करार को लागू करने की सभी आवश्यकताओं को उनके संबंधित रिष्ट्रेय कानून द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (2) कोई भी संविदाकारी पक्षकार पूर्ध दूसरे संविदाकारी पक्षकार को राजनियक चैनलों के माध्यम से समापन की लिखित सूचना देकर किसी भी समय इस करार को समाप्त कर सकता है। इस मामले में समाप्ति की अधिसूचना प्राप्त होने के तीन महीने बाद करार समाप्त कर दिया जाएगा।

	(स्थान) में वर्ष	के	(माह) के	वें दिन जर्मन, हिंदी तथ
			संपन्न, सभी पाठ समान र	
वर्तमान करार के	प्रावधानों के निर्वचन	में किसी प्रक	गर की भिन्नता की स्थिति	। में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।